International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

वैधानिक संरक्षण और हिन्दी का विकास - एक मूल्यांकन

डा.सजीव्.के, असिस्टेन्ट प्रोफेसर,
एन.एस.एस. कालेज,ओट्टप्पालम।

गुलामी और सांस्कृतिक संकट से हर तरफ मुक्ति दिलाने हेतु संघर्षरत भारतीय नेताओं ने राष्ट्रीय एकता एवं सामाजिक पवित्रीकरण को सुदृढ़ बनाने में भाषा के महत्व को पहचान लिया था। संपूर्ण भारतवासियों को सम्बोधन करने लायक भाषा के चयन से स्वतंत्रता संग्राम में तेज़ी आने की अन्दाज़ा भी उन्होंने की। 19वीं शताब्दी में सांस्कृतिक पुनर्जागरण के वक्त विद्वानों और नेताओं ने सुमधुर और प्रवाहयुक्त हिंदी को राष्ट्रभाषा की संज्ञा दी। सांस्कृतिक पुनर्जागरण के अग्रदूत राजाराम मोहन रोय, आचार्य केशव चन्द्रसेन, महर्षि दयानंद सरस्वती आदि का नाम इसमें उल्लेखनीय है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम का जन्म पुनर्जागरण आंदोलन के गर्भ से होने के कारण आगे आनेवाले नेताओं ने भी हिन्दी को देशभर में संपर्क भाषा के रूप में प्रचार किया।

दक्षिण आफ्रिका के सत्याग्रह विजय के बाद भारत लौट आए गाँधीजी ने तृतीय श्रेणी में भारत पर्यटन करके इस नतीजे पर पहूँचे कि भारत एक बहुभाषी देश है। इतनी विभिन्नताओं के बीच अधिक बोली जानेवाली भाषा हिन्दी है।[1] गाँधीजी के हथियार थे सत्य, अहिंसा और स्वदेशी। उन्होंने स्वदेशी में खादी और हिंदी को स्थान दिया। गाँधीजी ने कहा था -''समूचे हिंदुस्तान के साथ व्यवहार करने केलिए हमें भारतीय भाषाओं में से एक ऐसी भाषा या जुबान की ज़रूरत है, जिसे आज ज़्यादा से ज़्यादा लोग जानते-समझते हो और बाकी लोग जल्दी से सीख सके। इसमें शक नहीं कि हिंदी ऐसी ही भाषा है।'

गाँधीजी का कथन हिंदी की व्यापकता, सार्वभौमिकता, महत्ता एवं उसकी सर्वस्वीकार्यता की ओर संकेत करता है। राष्ट्र की राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय पहचान केलिए

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

ज़रूरी है कि उस राष्ट्र की एक सर्वमान्य भाषा हो, जिसके माध्यम से समस्त राष्ट्रीय विशेषताएँ अभिव्यक्त होती हो। वह भावनात्मक स्तर पर हमारे राष्ट्र की पहचान है और भावात्मक एकता का प्रतीक है। वह भावनात्मक स्तर पर हमारे राष्ट्र की पहचान है और भावात्मक एकता का प्रतीक एवं स्वाभिमान है। गाँधीजी के अनुसार देश सेवा की पहली सीढ़ी हिन्दी का ज्ञान और उसके प्रति आदर का भाव था। फलतः गाँधीवाद में राष्ट्रभाषा प्रेम को भी महत्वपूर्ण स्थान मिला।[2] अहिंदी भाषी होकर भी गाँधीजी ने हिंदी का गौरव अनुभूत कर हिंदी के प्रचार कार्यों में जुडे रहे। डा. राम मनोहर लोहिया ने अंग्रेज़ी का बहिष्कार कर हिंदी आंदोलन में जुडने का आह्वान किया। अंग्रेज़ों के इस शासन काल में राजभाषा के रूप में अंग्रेज़ी ही प्रतिष्ठित थी। अंग्रेज़ों ने अंग्रेज़ी को हमारे राष्ट्र के रक्त-माँस चूसने का साधन बनाया तो भारतीय नेताओं ने स्वदेशी हिंदी को उसे रोकने का दायित्व सौंप दिया। हिंदी-अंग्रेज़ी का फासला आज़ादी-गुलामी का ही था। जैसे ही अंग्रेज़ों ने संपूर्ण विश्व में अपने उपनिवेशवाद का पंजा जमा दिया वैसे ही अंग्रेज़ी भाषा ने गुलाम देशों के नागरिकों के जिह्वा और दिमाग को प्रभावित करने लगा।

अनेक देशों का इतिहास ऐसा ही है कि सत्ता परिवर्तन के बाद भाषा नियम भी बदलता है। अंग्रेज़ी के हटने के पाँच महीनों के भीतर हांगकाँग सरकार ने वहाँ के निर्धारित विद्यालयों में अंग्रेज़ी में पढ़ाए जाने पर प्रतिबंध लगा दिया और उन्होंने संपूर्ण शिक्षा का माध्यम 'मातृभाषा' को बनाने का आरंभ किया। चीन में केन्टोनी नहीं अपनानेवाले विद्यालयों की आर्थिक सहायता बंद करने के प्रावधान रखे है।

भारत में लम्बे अर्रोके आन्दोलन के बाद स्वतंत्रता प्राप्ति सुनिश्चित होने पर नेताओं का ध्यान शासन पर केन्द्रित होने लगा था। स्वतंत्रता प्राप्ति के ठीक पहले शासन हस्तांतरण को सुचारु बनाने की दृष्टि में बैठक में डा. राजेन्द्रप्रसाद इसके स्थायी अध्यक्ष चुने गए। संविधान सभा ने सुचारु कार्यसंचालन हेतु विभिन्न समितियों का गठन किया था। इन समितियों में विशिष्ट स्थान प्राप्त प्रारूप समिति ने स्वतंत्रता के पश्चात् फरवरी 1948 में संविधान सभा के बहुसंख्यक सदस्य और पूरे भारत के हिंदी समर्थक हिंदी को समर्थक देने हेतु आगे आए थे।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

फलतः राष्ट्रीय पहचान व भावात्मक एकता का प्रतिनिधित्व करनेवाली राष्ट्रभाषा (जनभाषा) के शिलान्यास में ही धक्का लगा। इसी बीच दिल्ली में अगस्त 1949 में हिंदी-अहिंदी भाषा नेताओं और विद्वानों समेत बहुत से लोगों की उपस्थिति में संपन्न 'राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद्' द्वारा पारित प्रस्ताव पारित किया कि देवनागरी में लिखित हिन्दी को राजभाषा स्वीकृत किया जाए। राष्ट्रभाषा व्यवस्था परिषद् द्वारा पारित प्रस्ताव का प्रभाव संविधान सभा पर भी पड़ा था। आखिर संविधान सभा के 11, 12, 13 व 14 सितंबर 1949 को हुई बैठक में मूर्धन्य विद्वानों के डेढ सौ प्रश्नों पर विचार-विमर्श करने के बाद निर्णय लिया कि हिंदी संघ की राजभाषा होगी और नागरी लिपि संघ की लिपि।[3] इस विशिष्ट निर्णय की याद में हर साल 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं। भारत की अन्य प्रमुख भाषाओं को संविधान की अष्टम अनुसूची में शामिल करने का निर्णय भी हुआ।[4] विचार विनिमय के सशक्त साधन को राष्ट्रीय विकास की आधार शिला के रूप में प्रतिष्ठित करने के बजाय वैकल्पिक चयन का मौका देकर भाषा नीति में पानी डाल दिया।[5] तात्कालिक मतभेद को सुलझाकर शांत और स्वस्थ वातावरण की सृजन हेतु ही यह निर्णय लिया गया था। राष्ट्रीय हित एवं भावात्मक एकता के विकास की दृष्टि से इस निर्णय में दूरदर्शिता बहुत कम थी। लोकतांत्रिक भारत पर राजतांत्रिक भावना का विजय ही इसे कह सकते हैं क्योंकि राजभाषा शासकों की भाषा है। वह राजाश्रित है। लोकतंत्र की आधार शिला जनता है। कुचेक राजनीतिक स्वार्थों से जनमत की उपेक्षा हुई। आश्चर्य की बात है कि स्वतंत्रता के पहले राष्ट्रभाषा की अनुभूति भारतवर्ष में से सर्वप्रथम अहिंदी भाषी क्षेत्रों के लोगों में हुई जय कि हिंदीवालों ने कभी भी इसकी आवश्यकता अनुभूत नहीं की। हिंदीवालों का सारा काम अपनी भाषा में होता था। जब कोई अहिंदी भाषी भारतीय अपने प्रदेश से बाहर जाते है तो उसे समझने-समझाने की जटिल समस्या सामने आती थी। आज़ादी से पहले हिंदी भाषा-विवाद में नहीं उलझी थी। उस समय हिंदी राष्ट्रीय संपर्क की भाषा, आज़ादी का अलग जगानेवाले शायरों, कवियों, क्रांतिकारियों की प्रिय भाषा, पूरब-पश्चिम उत्तर-दक्षिण की एकता की भाषा, स्वतंत्रता संघर्ष में किए जानेवाले प्रण की भाषा, पूरे

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

देश को एकाकार कर देनेवाली व्यापक भाषा के रूप में राष्ट्रभाषा बनी हुई थी। उस समय राष्ट्रभाषा की वास्तविक गरिमा से विभूषित हिंदी को हिंदीवालों से ज़्यादा लाड, प्यार, दुलार और समर्थन अहिन्दी भाषियों से प्राप्त था। लेकिन आज़ादी के बाद हिंदी, अंग्रेज़ और अंग्रेज़ी की साजिश का शिकार बन गया। राजकीय संरक्षण के बलबूते 'राष्ट्रभाषा' की गद्दी पर बैठाते ही राजनीतिक षड्यंत्र का शिकार बनकर हिंदी विवाद का विषय बन गई। हिंदी को राष्ट्रीय विवाद और प्रांतीय संघर्ष का विषय बना दिया। यदि 14 सितंबर 1947 गाँधीजी होते तो हिंदी देश की राष्ट्रभाषा होती। जिस कार्य के लिए हमने लाखों लाठियाँ खाई - 'वह नहीं' हो सका। इसको इतना उलझा दिया कि सुलझना अब मुमकिन नहीं है। आश्चर्य है कि हिंदी का विरोध और अंग्रेज़ी का समर्थन अंग्रेज़ों के रहते नहीं, देश से उनके चले जाने के बाद ही हुआ।

क्हने को तो कानूनी तौर पर 14 सितंबर 1949 को ही हिंदी को भारत संघ की भाषा के रूप में स्वीकार कर लिया गया, पर संविधान लागू होने के 15 वर्ष तक उसके साथ अंग्रेज़ी की अनिवार्यता भी लागू कर दी गई। व्यवथा यह दी गई कि (संविधान अनुच्छेद 343 के उपबंध - 1, 2, 3) सन् 1965 के बाद संसद की कार्यवाई सिर्फ हिंदी में ही संपन्न होगी, बशर्ते संसद कोई अन्यथा नियम न बना दें।[6]

भारतीय संविधान में स्वीकृत राजभाषा के कार्यान्वयन के प्रोत्साहन और निरीक्षण का दायित्व पहले शिक्षा मंत्रालय को सौंप दिया। उन्होंने केंद्रीय कर्मचारियों के लिए पहला वर्ग 1952 में शुरु किया। तीन साल के बाद सरकार दूसरे शक्तिशाली मंत्रालय गृहमंत्रालय को इसकी ज़िम्मेदारी दी। 1955 से लेकर आज तक वह काम उनके अधीन है। निशुल्क पुस्तक वितरण, विशेष वेतन वृद्धि, यात्रा भाडा, छुट्ठी आदि प्रोत्साहन एवं प्रलोभन से हिंदी प्रचार कार्य हो रहा है।

अधिकार आदमी को अंधा बनाता है। राष्ट्रीय स्वाभिमान, राष्ट्रीय गरिमा और स्वतंत्रता संघर्ष के प्रण को भुलावा देकर संविधान में कथित हिंदी के पंद्रह वर्ष की निर्वासन-निष्कासन अवधि (1965) अभी दूर थी कि सन् 1963 में ''राजभाषा अधिनियम 1963'' पारित हो गया। व्यवस्था दी गई-

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

1. हिंदी के साथ अंग्रेज़ी का उपयोग सदा के लिए अनिवार्य होगा।
2. भारत में केवल हिंदी ही राष्ट्रभाषा नहीं, वरन् पंद्रह अन्य राष्ट्रभाषाएँ भी हैं।
3. जब तक एक भी राज्य हिंदी का विरोध नहीं करेगा उसे राष्ट्रभाषा के रूप में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

संसद में सेठ गोविन्ददास को छोड़कर इस अधिनियम का विरोध किसी ने नहीं किया। यह नियम आज भी लागू है।

भारत के सिर्फ 5 प्रतिशत लोग ही अंग्रेज़ी जानते हैं जब कि 95 प्रतिशत हिंदी जानते हैं। 5 प्रतिशत और 95 प्रतिशत के अंतर के प्रति नज़रअंदाज़ रखना लोकतंत्र को धोखा देना है। संविधान, संस्था, सुविधा सबका संबल हिंदी को प्राप्त है, फिर भी वह पिछडी ही नहीं है, इसके उपयोगकर्ता पिछडे माने जा रहे हैं। मध्यप्रदेश के उच्च न्यायालय ने तो आरोप लगाया ''यद्यपि समय≤ पर सरकार द्वारा हिंदी को शासकीय भाषा के रूप में अपनाए जाने के लिए संविधान के अनुच्छेद 343 एवं 344 के अंतर्गत अधिसूचनाएँ प्रसारित की जाती रही है, लेकिन अधिकारियों द्वारा उनके निजी स्वार्थों की खातिर उसमें कुछ रुकावटें पैदा की जाती है। अधिकारी गण, जिनकी संख्या बहुत ही कम है, ऐसा महसूस करते हैं कि अंग्रेज़ी को हटा देने से उनका दूसरों पर कृत्रिम श्रेष्ठत्व समाप्त हो जाएगा। अतः बहुमत लोगों की समझ में न आनेवाली भाषा में शासन का मर्म सुरक्षित कर, अपनी स्वार्थ एवं गर्व साधनेवाले, लोकतंत्र में अपना कर्तव्य निर्वहण भूल जाते हैं। राजभाषा स्तर पर हिंदी अंग्रेज़ी के अनुवाद तक ही सीमित है। अतः हिन्दी अधिकारी से लेकर सरकारी अनुवादकों तक के द्वारा प्रस्तुत की जानेवाली हिन्दी भाषा की मुख्य धारा से अलग है। वह हिंदी अंग्रेज़ी की 'दास भाषा' या 'दास हिंदी' है। सरकारी कार्यालयों में ही काम करनेवाले अधिकारियों के मन में इस दास हिंदी के प्रति भावात्मक आदर नहीं है। वे अंग्रेज़ी ज्ञान पर ही गौरव का अनुभव करते है, और प्रायः हिंदी कार्यों को हेयता की दृष्टि से देखते है।7 नई पीढ़ी के लोगों की शिक्षा-दीक्षा अंग्रेज़ी में हुई है। विदेशी भाषा का अधकचरा और कामचलाऊ ज्ञान पर गर्व करनेवाले अधिकारी विषय के आधे-अधूरे ज्ञान से भी चिंतित नहीं होते। आश्चर्यजनक है कि हिंदी

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

का विरोध और अंग्रेज़ी का समर्थन, अंग्रेज़ों के रहते नहीं, देश से उनके चले जाने के बाद शुरु हुआ। तमिलनाडु का हिंदी विरोधी-अंग्रेज़ी समर्थक दंग (1965) इसका उदाहरण है। 2003 मार्च में तमिलनाडु में केंद्रीय योजना के तहत राजपथ ;छंजपवदंस भ्पहीूंलद्ध बनाते समय हिंदी लिखित मील के पत्थर को लेकर लोकतंत्र के गर्भगृह माने जाने वाले संसद में तमिलनाडु के संसद और उत्तर भारत के संसदों के बीच मारपीट हुई। अर्थात् उत्तर भारत वाले हिंदी समर्थन को तथा तमिलनाडुवाले हिंदी विरोध को भडकाकर जनमत जुटाना चाहते हंै। संक्षेप में कह सकते है चीन, रूस, जर्मनी, फ्रांस, अमेरिका और ब्रिटेन के समान भारत की अपनी एक राष्ट्रभाषा का विकास नजदीक नज़र नहीं आता है।

आपात् काल में (1976) राजभाषा नियम प्रसारित किया गया। इसके अनुसार हिंदी क्षेत्रों को 'क', 'ख' और 'ग' क्षेत्रों में विभाजित किया गया।

'क' क्षेत्र में बिहार, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश राज्य और अन्डमान निकोबार द्वीप समूह और दिल्ली संघ राज्य शामिल है। इन राज्यों के शासन में पूरी तरह राजभाषा हिंदी का प्रयोग होना है।

'ख' में गुजरात, महाराष्ट्र, पंजाब और चंडीगढ है। इनके हिंदी पत्राचार में दिक्कत नहीं है। हिंदी के साथ अंग्रेज़ी की भी मान्यता है। 'ग' क्षेत्र में बाकी सभी राज्य आते हैं। केन्द्र से ये अपना पत्राचार अंग्रेज़ी में कर सकते हैं।

इन सब नियमों के बावजूद भी हिंदी का खुले दिल से प्रचार नहीं हो रहा है। उच्चतम न्यायालय, उच्चन्यायालय, जैसी संस्थाओं में अंग्रेज़ी और मातृभाषा का ही प्रयोग हो रहा है। 1986 तक हमारे भारतीय संविधान का हिंदी रूप प्रामाणित नहीं था। संविधान में है कि जहाँ संविधान संबंधी कोई मतभेद हो तो अंगे्रज़ी रूप को ही वैधानिक माना जाए। 1986 में ज्ञानी सेयिलसिंह ने यह घोषित किया था कि जिस देश की राजभाषा हिंदी है, वहाँ संविधान का हिंदी रूपांतरण का वैधानिक न होना ठीक नहीं है। अतः यह प्रावधान भी जोडा गया कि ''संविधान का हिंदी रूपांतरण'' भी प्रामाणिक है। केंद्रीय सरकार के अधीन 1986 को संस्थापित जवाहर नवोदय विद्यालय, जहाँ

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

सरकारी खर्च में बच्चों की पढ़ाई, भोजन, आवास और कपडों की व्यवस्था है, जिसे ''राष्ट्र नवनिर्माण'' का नया पहल मानते है वहाँ दसवीं और बारहवीं कक्षा में हिंदी परीक्षा अनिवार्य नहीं है। इस वर्ष न्यूयोर्क में आयोजित विश्व हिंदी सम्मेलन में भाग लिए हिंदी सेवी महानुभाव, साहित्यकार और पत्रकारों ने अंग्रेज़ी का खुलकर प्रयोग किया और सम्मेलन के उद्देश्य को लगभग भुला दिया गया। ''हिंदी डे'' के अवसर पर भी नाम के वास्ते ही हिंदी को जीवन दिया जाता है। यहाँ औपचारिक अवसरों पर हिंदी प्रोत्साहन का आह्वान दिया जाता है - संघ का कर्तव्य होगा कि वह हिंदी भाषा का प्रसार बढाए, उसका विकास करें।'' सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का प्रकाशन विभाग एक वार्षीकी निकालता है दो भाषाओं में - अंग्रेज़ी 'इंडिया' का मूल्य है 160 रुपए और हिन्दी 'भारत' का मूल्य 332 रु। दुगुना मूल्य देकर हिंदी प्रतियाँ कौन लेगा? यह संविधान की प्रतिष्ठा और अवसर की समता के उद्देश्य के भी विरुद्ध है।

उपर्युक्त सभी प्रसंगों से पता चलता है कि हिंदी के प्रचार में सरकार और अधिकारी वर्ग कहाँ तक समर्पित है। भारत में अंग्रेज़ी उस उपभोगवादी संस्कृति के प्रतीक और पोषक रूप में काम कर रही है जिसे व्यवस्था कायम रखना चाहती है। अंग्रेज़ी शिक्ष्ा का प्रचार भारत में तेज़ी से हो रहा है। ज्यादातर माँ-बाप यह मानते है कि उनके बच्चे अंग्रेज़ी पढ़कर साहब बनेंगे। अभिभावक इतना अधिक दिग्भ्रमित हो गया है कि ये ज्ञानार्जन को नहीं बल्कि, अंग्रेज़ी ज्ञान को ही सब कुछ मानता है।

अंग्रेज़ी हिंदी की जड़ों को पूरी तरह उखाडने में अभी तक कामयाब नहीं हो पाई है प्रत्येक वर्ष सरकारी कार्यालयों व सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में राजभाषा पखवाड़ा मनाया जाता है। इस दौरान राजभाषा संबंधी विधिक-प्रावधानों तथा कार्यान्वयन की भरपूर कसमे दोहराने के सारे प्रयास देखने को मिलते है। इन कार्यक्रमों से राजभाषा के संबंध में जानकारी उपलब्ध कराना या उसे स्मृति पटल पर पुनः उकेरना इन कसमों को दोहराने के प्रत्यक्ष लाभ है। अब भारत सरकार के नेहरु यष्ुवा केंद्र हिंदी प्रचार कार्य में सक्रिय है। भारतीय ग्रामों के हिंदी प्रचार में यह एक अच्छा कदम है। 2012 में हुए राष्ट्रीय पाठक सर्वेक्षण के नतीजे बताते है कि पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

अखबारों के 70 लाख नए पाठक बने है, जिनमें सबसे बडा हिस्सा हिंदी पाठकों का है।[8] इस सर्वेक्षण का यह नतीजा है कि पाठक संख्या की दृष्टि से देश के ष्ज्वच ज्मदष् अखबारों में अंग्रेज़ी का कोई भी अखबार नहीं है।

अगर मोटे तौर पर देखा जाए तो हिंदुस्तान में ही नहीं पूरे विश्व में हिंदी फैलाती हुई नज़र आएगाी। वैश्वीकरण की इस वेला में विशालतर जन समुदाय के बीच संपर्क का स्वाभाविक माध्यम होने के कारण पल-प्रतिपल हिंदी को दुनिया भर में तमाम जगहों फैलते ही जाना है। भाषा शास्त्रियों की नज़र में सबसे अधिक वैज्ञानिक मानी जानेवाली हिंदी के प्रसार को रोकना किसी के लिए भी संभव नहीं है। हाल ही जयंती प्रसाद नौटियाल ने एक सर्वेक्षण द्वारा साबित किया है - बोलनेवालों की दृष्टि में चीन की मंदारिन से भी आगे है हिंदी। हिंदी और उर्दू की लिपियों में अंतर है तो भी भाषा एक हैं। अतः उन्होंने सर्वेक्षण में हिंदी-उर्दू को मिलाया है।

पाकिस्तान के पंजाब विश्वविद्यालय में 'शोबा-ए-हिंदी' नाम से हिंदी का एक विभाग खोला गया है जिसका अध्यक्ष है प्रोफ. डाॅ. मोहम्मद अक्रम।11 पाकिस्तानी विश्वविद्यालयों में अभी तक हिंदी भाषा और साहित्य का अध्ययन-अध्यापन का इंतजाम नहीं था, इसलिए भारत से पी.एच.डी. प्राप्त अध्यापकों को नियुक्त किया। पाकिस्तान का एक बड़ा बुद्धिजीवी वर्ग हिंदी और उर्दू में कोई अंतर नहीं मानता। आशा है कि पाकिस्तान में हिंदी पढ़ाने का कार्यक्रम मात्र औपचारिकता बनकर न रह जाए। विश्व के 145 विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग कार्यरत है। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी हिंदी को भी मान्यता दी है।

हम सारे संसार को हिंदी में समेटें, पर राष्ट्र को भी समग्रता से समेटने के उत्तरदायित्व से मुँह न चुराए, तभी हिंदी को राष्ट्रभाषा और विश्व भाषा का स्वाभाविक अधिकार मिल जाएगा। इसलिए हिंदी की भूमिका दोहरी नहीं, तिहरी है। एक जनभाषा के रूप में उसे अपने दूर-दूर तक फैले इलाकों की बोलियों की शब्द संपदा को समेटनी ही है। भगिनी भाषाओं से भी शब्दों, मुहावरों और लोकोक्तियों की लेन-देन करनी है। इसके बिना नकली भाषा बन जाने की खतरे से भी हिंदी को बचाएँ।

International Journal of Research in Economics and Social Sciences(IJRESS)
Available online at: http://euroasiapub.org
Vol. 8 Issue 1, January- 2018
ISSN(o): 2249-7382 | Impact Factor: 6.939 |

संदर्भ

1. रचनात्मक कार्यक्रम, गाँधीजी, पृ.सं. 18
2. वही, पृ. 19
3. भारतीय संविधान
4. भारतीय संविधान
5. दैनिक जागरण, 14 सितंबर 2016, पृ. 5
6. राजभाषा अधिनियम 1963
7. राष्ट्रीय सहारा हिंदी दैनिक, 14 सितंबर 2016, पृ. 3
8. राष्ट्रीय सहारा हिंदी दैनिक, 13 सितंबर 2013, पृ. 2